भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 086208

परगना– बिजनौर

स्टाम्प– 50/–

<u>मुख्तारनामा–आम परिवर्तनीय</u>

श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री बिहारी लाल पत्नी श्री राम शंकर तिवारी निवासिनी–ग्राम–जैती खेड़ा, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ

.......प्रथमपक्ष/मुख्तारकर्ता

Scanned by CamScanner

क्रम संख्या 4395

स्टाम्प बिक्री की तिथि 20-7-20

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता .... श्रीमती विद्यादेवी DL° बिहारी लाल

....

स्टाम्प की धनराशि 50

मो० अनिल त्रिवेदी (स्टाम्प विक्रेता)

लाइसेन्स नम्बर 218/03

लाइसेन्स की अवधि 31-3-2019

कलक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

Scanned by CamScanner

एवम्

राम शंकर तिवारी पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद तिवारी निवासी–ग्राम–सोहावा, मजरा–जैती खेड़ा, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ

.....द्वितीयपक्ष/मुख्तारआम

जोकि मुख्तारकर्ता भूमि खसरा संख्या–26सं. रकबा–0.392 हेक्टेयर भूमि खसरा संख्या–26, रकबा–0.775 हेक्टेयर स्थित–ग्राम–जैती खेड़ा, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ की मालिक कामिल व काबिज संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि खसरा संख्या–26सं. मुख्तारकर्ता की पैतृक सम्पत्ति है तथा भूमि खसरा संख्या–26 रकबा–0.775 हेक्टेयर को मुख्तारकर्ता ने बजरिये पंजीकृत विक्रय विलेख नमिता पुत्री श्री गंगा शंकर पत्नी श्री गौरी शंकर निवासिनी–ग्राम– जैती खेड़ा, लखनऊ से क्रय किया है जिसका विक्रय विलेख उपनिबन्धक कार्यालय–प्रथम, लखनऊ में दिनांक–15/07/2014 को बही संख्या–1 जिल्द–17554 पृष्ठ–141/172 क्रमांक–15090 पर पंजीकृत है। जो राजस्व अभिलेखों में मुख्तारकर्ता के नाम बखूबी दर्ज है

चूंकि मुख्तारकर्ता चलने–फिरने तथा दौड़–भाग करने में असमर्थ है जिस कारण अपनी उपरोक्त आराजी की बाबत हर प्रकार से देख रेख व पैरवी आदि किसी भी कार्यालय या

नि0 अ0

विद्यादेवी

Scanned by CamScanner

मुख्तारनामा आम

50.00	20	70.00	1,000
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्रीमती विद्या देवी
पुत्र श्री बिहारी लाल
व्यवसाय गृहिणी
निवासी स्थायी ग्राम जैतीखेड़ा पर0 बिजनौर लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/7/2015 समय 2:12PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

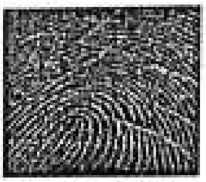

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
विनीत दीक्षित (प्रभारी)
उप निबन्धक(प्रथम)
लखनऊ
20/7/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

मुख्तार कर्ता

श्रीमती विद्या देवी
पुत्र श्री बिहारी लाल
पेशा गृहिणी
निवासी ग्राम जैतीखेड़ा पर0 बिजनौर लखनऊ

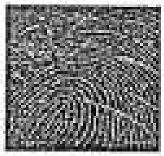

मुख्तार

श्री रामशंकर तिवारी
पुत्र श्री स्व0 दुर्गा प्रसाद तिवारी
पेशा सेवानिवृत्त
निवासी ग्राम सोहावा जैतीखेड़ा पर0 बिजनौर लखनऊ

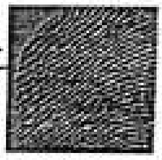

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री डा0 गौरव सिंह
पुत्र श्री डा0 एन0 के0 सिंह
पेशा व्यापार
निवासी 15/3 स्टेनली रोड इलाहाबाद
व श्री आशीष मिश्रा
पुत्र श्री एस0 एन0 मिश्रा
पेशा मुंशी
निवासी कले0 को0 लखनऊ
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

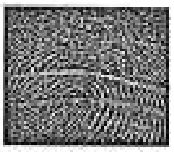

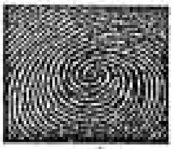

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
विनीत दीक्षित (प्रभारी)
उप निबन्धक(प्रथम)
लखनऊ
20/7/2015

Scanned by CamScanner

न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर करने में असमर्थ हूँ। अतः अब मैं अपनी राजी व खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरुस्त होश व हवास में अपनी ओर से अपने पति **राम शंकर तिवारी पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद तिवारी निवासी– ग्राम–सोहावा, मजरा–जैतीं खेड़ा, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ** को अपना मुख्तारआम नियुक्त करके उनको निम्नलिखित अधिकार प्रदान करती हूं :–

1. यह कि मेरे मुख्तारआम को अधिकार होगा कि वह मेरी उपरोक्त आराजी की बाबत सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के समक्ष आवश्यकतानुसार प्रार्थना पत्र, नोटिस, शपथ पत्र अपने हस्ताक्षर से दाखिल करे एवं जहाँ–जहाँ मेरे हस्ताक्षर निशानी अंगूठा की आवश्यकता हो, वहाँ मेरी तरफ से स्वयं अपने हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा लगाकर कार्यवाही सम्पादित करे।
2. यह कि मेरे मुख्तारआम महोदय को अधिकार होगा कि वह मेरी उपरोक्त आराजी की हर प्रकार से देख रेख करे तथा उसकी सुरक्षा आदि का समुचित प्रबन्ध करे।
3. यह कि मेरे मुख्तारआम को अधिकार होगा कि वह मेरी उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में भारतवर्ष के किसी भी कार्यालय एवं न्यायालय एवं सक्षम अधिकारी, विहित

नि0 ह0

विन्ध्येश्वरी

मुख्तार कर्ता

Registration No.: 417 Year : 2,015 Book No. : 4

0101 विद्या देवी

बिहारी लाल

ग्राम फैतीखेड़ा पर0 बिजनौर लखनऊ

गृहिणी

Scanned by CamScanner

अधिकारी, निहित अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र, नोटिस, शपथ पत्र, दावा जवाब दावा, सुलहनामा आदि दाखिल करें या वापस लेवें और इस सम्बन्ध में जहाँ–जहाँ मेरे हस्ताक्षरों की आवश्यकता हो, अपने हस्ताक्षर करे।

4. यह कि इस प्रकार हमारे मुख्तारआम द्वारा मेरी उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में किये गये उपरोक्त समस्त कार्य मेरे द्वारा किये गये कार्यों के समान होंगे जोकि मुझे सदैव मान्य व स्वीकार होगा तथा मेरे वारिसानों पर भी बन्धनकारी रहेंगे।

5. यह कि इस मुख्तारनामाआम के जरिये मुख्तार महोदय को मेरी उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में विक्रय, इकरार, हिबा, पट्टा, किरायानामा, ऋण बंधक आदि अपने हस्ताक्षर बनाकर निष्पादित करे तथा अपने हस्ताक्षर से मेरे नाम से सम्पत्ति क्रय करे। मुख्तारआम द्वारा की गयी कुल कार्यवाही मेरे किये के समान होगी तथा मुझे हर सूरत में मान्य व स्वीकार होगी।

6. यह कि मुख्तारकर्ता को कोई प्रतिफल व कब्जा नहीं दिया जा रहा है।

7. यह कि यह मुख्तारनामा आम खण्डनीय है तथा मुख्तारेआम की अनुपस्थिति में एक पक्षीय निरस्त किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

मुख्तार

Registration No. : 417 Year : 2,015 Book No. : 4

0201 रामशंकर तिवारी
स्व0 दुर्गा प्रसाद तिवारी
ग्राम सोहावा जैतीखेड़ा पर0 बिजनौर लखनऊ
सेवानिवृत

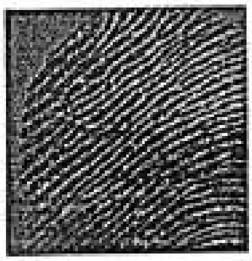

Scanned by CamScanner

विवरण सम्पत्ति

भूमि खसरा संख्या–26स. रकबा–0.392 हेक्टेयर भूमि खसरा संख्या–26, रकबा–0.775 हेक्टेयर स्थित–ग्राम–जैती खेड़ा, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ

लिहाजा यह मुख्तारनामाआम समक्ष निम्न गवाहान कतई निष्पादित कर दिया ताकि प्रमाण रहे और आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में काम आवे।

दिनांक : 20/07/2015

गवाहान :–

1. हस्ताक्षर हस्ताक्षर मुख्तारकर्ता
   पता –

2. हस्ताक्षर हस्ताक्षर मुख्तारआम
   पता–

टाइपकर्ता

(सूरज कुमार)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(उमेश चन्द्र दीक्षित)

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट, लखनऊ

Scanned by CamScanner